

झारखंड सरकार

वन एवं पर्यावरण विभाग

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की हस्त पुस्तिका

1. परिचय

1.1 पृष्ठभूमि

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 के अंतर्गत वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्य एवं दायित्व की सूचनायें इस हस्त पुस्तिका में तैयार की गयी हैं ।

1.2 उद्देश्य

- (क) वन एवं पर्यावरण विभाग से संबंधित गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं को जनसाधारण को उपलब्ध कराना ।
 - (ख) विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बनाये रखना ।
 - (ग) विभागीय योजनाओं के कार्यान्वयन में जनता का सहयोग प्राप्त करना ।
- #### 2. संगठन एवं इसके कार्यों तथा कर्त्तव्यों की विवरणी


2.1 भौगोलिक परिचय

झारखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल 7.97 मिलियन हेक्टेयर है जो देश के भू-भाग का 2.42 प्रतिशत है । यह 83°15' एवं 87°01' पूर्व देशान्तर तथा 22°00' एवं 24°37' उत्तर आक्षांश के बीच अवस्थित है । इस राज्य का अधिकांश भाग पठारी क्षेत्र है । यहाँ की मुख्य नदियाँ सोन, कोयल, सुवर्णरेखा और दामोदर हैं । यहाँ की जलवायु उष्ण-कटिबंधीय है ।

राज्य की कुल जनसंख्या 2.69 करोड़ (जनगणना – 2001) है जिसमें ग्रामीण एवं शहरी आबादी क्रमशः 78.75 प्रतिशत तथा 21.25 प्रतिशत है । राज्य की जनसंख्या की घनता 338 व्यक्ति प्रतिवर्ग किलोमीटर है ।

झारखंड में अपार जैव विविधता है तथा जीव-भूगोल के अनुसार यह डेक्कन प्रायद्वीपीय जीव-भौगोलिक क्षेत्र (Deccan Peninsular Bio-geographic Zone) के छोटानागपुर पठार प्रान्त (Chhotanagpur Plateau Province) का हिस्सा है । यहाँ के भू-भाग का 2.36 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र के रूप में अभिलिखित है जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का 29.61 प्रतिशत है । वन क्षेत्र का 18.59 प्रतिशत आरक्षित वन, 81.27 प्रतिशत सुरक्षित वन एवं मात्र 0.14 प्रतिशत अवर्गीकृत वन है । छोटानागपुर का पठारी क्षेत्र वन संसाधनों से समृद्ध है । राज्य में तीन प्रकार के वन हैं – उष्ण-कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, उष्ण-कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन एवं उप उष्ण-कटिबंधीय चौड़े पत्ते वाले पहाड़ी वन । यहाँ की प्रमुख वनवृक्ष प्रजाति 'साल' (Shorea robusta) है । वन्य प्राणी संसाधनों में भी यह राज्य अत्यंत समृद्ध है ।

सेटेलाईट इमेजरी के अनुसार जिलावार वनाच्छादन



(Source- FSI 2003)

2.2 वन एवं पर्यावरण विभाग के कार्य/मुख्य कृत्य

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची नेपाल हाउस में स्थित है। विभाग के स्तर से वनों एवं वन्य प्राणियों के विकास, संरक्षण, संवर्द्धन, जल एवं वायु से हो रहे प्रदूषण से संरक्षण एवं अनुश्रवण के साथ-साथ वन क्षेत्र एवं इसके आस-पास रहने वाले ग्रामीणों के जीवन स्तर में सुधार के लिए नीति निर्धारण एवं योजना तैयार कर इनका क्रियान्वयन किया जाता है। इसके अन्तर्गत वनों के विकास, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य अधिनियमों/नियमों के अंतर्गत प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है।


विभाग के सभी प्रमुख निर्णय मंत्री, वन एवं पर्यावरण के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लिये जाते हैं। इस विभाग का प्रबंधन सचिव, वन एवं पर्यावरण, (भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के पदाधिकारी) के द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड के सहयोग एवं परामर्श से किया जाता है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखंड इस विभाग के सर्वोच्च तकनीकी पदाधिकारी हैं। वे अपने क्षेत्र में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य सम्पादित करते हैं। इनके द्वारा राज्य में वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा, संरक्षण, संवर्द्धन एवं अनुश्रवण के लिए तकनीकी आधार पर प्रस्ताव एवं परामर्श सरकार को दिये जाते


है तथा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से विभाग की योजनाओं एवं नीतियों का कार्यान्वयन किया जाता है।

2.3 विभाग का संगठनात्मक ढांचा


(क) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है :-



(ख) वन विभागीय संरचना :-



(ग) प्रधान मुख्य वन संरक्षक का क्षेत्रीय कार्यालय



(घ) इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों के अधीन वन संरक्षक तथा उनके अधीन वन प्रमंडल पदाधिकारी एवं प्रत्येक वन प्रमंडल में सहायक वन संरक्षक तथा वनों के क्षेत्र पदाधिकारी पदस्थापित हैं ।

3 एवं 4 कार्यों के निर्वहन के लिए निरूपित मानक तथा पर्यवेक्षण एवं उत्तरदायित्व निर्धारित करने की कड़ी में निर्णय लेने के लिए अपनाई गयी प्रक्रिया की जानकारी

(क) प्रशासनिक एवं वित्तीय मामले

सहायक → प्रशाखा पदाधिकारी → अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी → उप सचिव → सचिव

(ख) बजट के मामले

सहायक → प्रशाखा पदाधिकारी → उप सचिव → सचिव

(ग) वन भूमि के अपयोजन से संबंधित मामले

सहायक → प्रशाखा पदाधिकारी → उप परामर्शी → उप सचिव -2 → सचिव

(घ) कार्यालय एवं क्षेत्रीय स्थापना

सहायक → प्रशाखा पदाधिकारी → अवर सचिव → उप सचिव-1 → सचिव

(ड.) वन्य प्राणी, वन निगम, पर्यावरण संरक्षण, विधायी कार्य एवं अन्य कार्य

सहायक → प्रशाखा पदाधिकारी → उप परामर्शी/विशेष कार्य पदाधिकारी / सहायक वन संरक्षक → उप सचिव → सचिव

➤ सचिव प्रशासी प्रमुख होने के नाते विभाग के सुचारु रूप से संचालन के लिए उत्तरदायी हैं ।(सचिवालय अनुदेश कंडिका 1.3)

➤ विभिन्न स्तरों से प्राप्त पत्र सर्व प्रथम सचिव कोषांग में प्राप्त होकर सचिव के आदेश से संबंधित उप सचिव को पृष्ठांकित किये जाते हैं । तत्पश्चात् संबंधित उप सचिव के स्तर से अवर सचिव को पृष्ठांकित होने के पश्चात वे प्रशाखाओं में प्राप्त किये जाते हैं। कार्यालय में प्राप्ति पंजी संधारित है । प्राप्ति पंजी में संधारण के पश्चात संबंधित सहायकों को कर्म पुस्तिका में अंकित करके उन्हें पत्र उपलब्ध कराये जाते हैं ।

➤ सहायकों द्वारा पत्रों को संबंधित संचिका में संबंधित प्रशाखा पदाधिकारियों को समर्पित किया जाता है तथा प्रशाखा पदाधिकारी जांचोपरान्त

अपने मंतव्य के पश्चात अवर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/ उप परामर्शी को संचिका समर्पित करते हैं ।

➤ अवर सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/ उप परामर्शी पुनः संचिका को विषय वस्तु अंकित करते हुए प्रावधानों/ विभागीय नियमों की समीक्षा कर अपने मंतव्य के साथ संबंधित उप सचिव को समर्पित करते हैं ।

➤ उप सचिव रूटीन विषयों से संबंधित संचिकाओं का निष्पादन, जिसे सचिव के स्तर पर उपस्थापन की आवश्यकता नहीं है, अपने स्तर से कर देते हैं या विभिन्न विभागों से पत्राचार करते हैं ।

➤ उप सचिव के द्वारा महत्वपूर्ण संचिकायें, नियमों एवं प्रावधानों के आलोक में अपने मंतव्य के साथ विभागीय सचिव को उपस्थापित की जाती है ।

➤ कार्यपालिका नियमावली में निर्धारित शक्तियों के अनुरूप विभागीय सचिव द्वारा आदेश पारित किये जाते हैं अथवा विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त किया जाता है । कुछ महत्वपूर्ण मामलों में, जिनमें भा0व0से0 के पदाधिकारी के स्थापना संबंधी मामले भी आते हैं। विभागीय मंत्री के अनुमोदन के पश्चात् मुख्य सचिव के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री का आदेश प्राप्त किया जाता है ।

➤ विभाग प्रशाखाओं में विभाजित है और हर प्रशाखा में एक प्रशाखा पदाधिकारी हैं जिनके अधीन 3 या 4 सहायक कार्यरत हैं ।

➤ विभाग में प्राप्त पत्रों को सचिव/ उप सचिव एवं अवर सचिव के अवलोकनोपरान्त प्रशाखा पदाधिकारी संबंधित सहायक को पृष्ठांकित करते हैं, जिसे दिनचर्या लिपिक द्वारा डायरी करके सहायक की कार्य पुस्तिका में उपलब्ध किया जाता है । पत्र के संदर्भित विषय पर राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित नियम एवं पूर्व में की गयी कार्रवाई के आलोक में मामले की जांच कर सहायक द्वारा संचिका प्रशाखा पदाधिकारी को उपस्थापित की जाती है ।

➤ प्रशाखा पदाधिकारी अपने स्तर से मामले की समीक्षा करके निर्धारित पदाधिकारी को उपस्थापित करते हैं एवं उस पदाधिकारी के द्वारा संचिका सचिव महोदय को आवश्यकतानुसार अवलोकनार्थ/अनुमोदनार्थ/आदेशार्थ उपस्थापित की जाती है ।

5. कार्यों के निर्वहन में उपयोग किये जाने वाले अधिनियम एवं नियमावली

5.1 अधिनियम

अधिनियम	परिचय
i) भारतीय वन अधिनियम, 1927	वन एवं वनोत्पाद के परिवहन से संबंधित नियमों को प्रभावकारी करने के लिए स्थापित
ii) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980	वन भूमि एवं वनों के गैर वानिकी कार्यों में प्रयोग एवं उनसे संबंधित विषयों के लिए स्थापित
iii) वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (संशोधित 2002)	वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु अधिनियम
iv) बिहार केन्दु पत्ती (व्यापार नियंत्रण) अधिनियम, 1973	यह अधिनियम राज्य में केन्दु पत्ती व्यापार के नियंत्रण हेतु स्थापित है ।
v) बिहार वनोत्पाद (व्यापार	यह अधिनियम राज्य में वन उत्पाद के व्यापार के लोकहित

विनियमन) अधिनियम, 1984	में राज्य नियंत्रण हेतु स्थापित है ।
vi) बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990	वनों तथा पर्यावरण के संरक्षण एवं सुरक्षा के दृष्टि से आरा मिलों तथा आरा गड्डों की स्थापना और उनके प्रचालन का तथा काष्ठ के चिरान के व्यापार का लोक हित में विनियमन करने के लिए उपबंध करने हेतु अधिनियम ।
vii) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986	पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु अधिनियम ।
viii) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981	वायु प्रदूषण पर नियंत्रण एवं निवारण हेतु स्थापित ।
ix) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974	जल प्रदूषण पर नियंत्रण एवं निवारण हेतु स्थापित ।
x) बिहार एव उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी अधिनियम	सर्टिफिकेट केश के संबंध में ।
xi) जैव विविधता अधिनियम, 2002	जैव विविधता के संरक्षण हेतु स्थापित ।
xii) बिहार पब्लिक लैंड इन्कोचमेंट अधिनियम	भूमि के अतिक्रमण से संबंधित मामलों के लिए ।

5.2 नियमावली

नियमावली	परिचय
i) बिहार वन सेवा नियमावली, 1953	वन विभाग का संगठनात्मक ढांचा, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों, दायित्वों एवं शक्तियों की विवरणी
ii) वन (संरक्षण) नियमावली, 1981	वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 4 (1) में दी गयी शक्तियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निरूपित ।
iii) वन्य प्राणी (Transaction and Taxidermy) नियमावली, 1973	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 (1 b) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निरूपित ।
iv) वन्य प्राणी (stock declaration) केन्द्रीय नियमावली, 1973	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 (1-a) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निरूपित ।
v) बिहार वन्य प्राणी (संरक्षण) नियमावली, 1973	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 64 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बिहार सरकार द्वारा निरूपित ।
vi) वन्य प्राणी (संरक्षण) नियमावली, 1995	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 (1-k) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निरूपित ।
vii) बिहार काष्ठ चिरान (विनियमन) नियमावली, 1993	बिहार काष्ठ चिरान विनियमन अधिनियम, 1990 की धारा 23 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा निरूपित ।
viii) बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) नियमावली, 1993	बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1984 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बिहार सरकार द्वारा निरूपित ।
ix) आरा गड्डे की स्थापना एवं लकड़ी डिपो की स्थापना तथा विनियमन संबंधी बिहार	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर बिहार सरकार द्वारा निरूपित ।

नियमावली, 1983	
x) पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 6 एवं 25 में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निरूपित
xi) चिड़िया घर की मान्यता संबंधी नियमावली, 1972 (Recognition of Zoo Rules, 1992)	वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 (1-f & g) में प्रदत्त शक्तियों के आधार पर भारत सरकार द्वारा निरूपित ।
xii) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1983	वायु प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निरूपित ।
xiii) जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) नियमावली, 1986	जल प्रदूषण (निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 64 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा निरूपित ।
xiv) झारखंड काष्ठ तथा अन्य वन्य उत्पाद (अभिवहन विनियमन) नियमावली, 2004	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 41, 42 एवं 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर झारखंड राज्य के भीतर काष्ठ, जलावन की लकड़ी इत्यादि के अभिवहन हेतु झारखंड सरकार द्वारा निरूपित

5.3 इसके अतिरिक्त अन्य सहयोगी नियमावली

- i) सचिवालय अनुदेश, 1952
- ii) झारखंड सेवा संहिता
- iii) अखिल भारतीय सेवा नियमावली
- iv) कार्यपालिका नियमावली
- v) बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली
- vi) कोषागार संहिता
- vii) वित्तीय नियमावली
- viii) यात्रा भत्ता नियमावली

5.4 काष्ठ चिरान (विनियमन) अधिनियम, 1990 के तहत न्यायालय प्रक्रिया

1. अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा अधिनियम के तहत अनुज्ञापन/ अनुज्ञापन नवीकरण के संबंध में स्वीकृति आदेश प्रदान करने की कार्रवाई की जाती है । उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधान के उल्लंघन की दशा में अनुज्ञप्ति को निरस्त करने/स्थगित करने तथा आरा मिलों की जप्ती आदि से संबंधित कार्रवाई की जाती है ।	धारा 3, 4, 5 एवं 6
2. विहित प्राधिकारी-सह- वन संरक्षक के न्यायालय में अनुज्ञापन पदाधिकारी-सह- वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा निर्गत आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई की जाती है ।	धारा 4 एवं 12

3. संबंधित जिला के जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में विहित प्राधिकारी के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद दायर किये जाने का प्रावधान है ।	धारा 18
4. जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किये जाने का प्रावधान है ।	

5.5 अधिहरण वाद

1. प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अवैध विनिर्दिष्ट वनोत्पाद एवं उसमें प्रयुक्त सामग्री/वाहन में अधिहरण वाद में प्रथम न्यायालय की कार्रवाई आरंभ की जाती है और आदेश पारित किया जाता है । विनिर्दिष्ट वनोत्पाद – टिम्बर, चारकोल, कत्था, उडवायल, वार्निश, लाह, महुआ, फूल एवं बीज आदि	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52
2. अपीलीय पदाधिकारी- सह- उपायुक्त के न्यायालय में प्राधिकृत पदाधिकारी-सह-वन प्रमंडल पदाधिकारी के द्वारा अधिहरण हेतु पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर करने का प्रावधान है, (30 दिनों के अंदर)	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 ए
3. पुनरीक्षण प्राधिकारी-सह-विभागीय सचिव के न्यायालय में अपीलीय पदाधिकारी-सह-उपायुक्त के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण वाद दायर करने का प्रावधान है ।	भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 52 बी
4. पुनरीक्षण प्राधिकारी-सह-विभागीय सचिव के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाती है ।	

6. विभाग/संगठन अथवा इसके नियंत्रणाधीन धारित अभिलेखों की श्रेणी की विवरणी

प्रमंडलीय कार्यालयों में निम्न अभिलेख संधारित हैं –

- क) वन भूमि से संबंधित अधिसूचना
- ख) वन भूमि का नक्शा
- ग) योजनाओं से संबंधित अभिलेख

7. विभाग की नीतियों एवं प्रशासन की आमजनों से विचार विमर्श की व्यवस्था

7.1 संयुक्त वन प्रबंधन द्वारा वनों की सुरक्षा

वनों के संरक्षण एवं प्रबंधन में जन सहभागिता को व्यापक आधार देने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने संयुक्त वन प्रबंधन से संबंधित संकल्प सं0 3658 दिनांक 27 सितम्बर, 2001 को निर्गत किया था । जारी किये गये संकल्प के

आलोक में दिसम्बर – 2004 तक राज्य में 10903 संयुक्त वन प्रबंधन समितियां गठित की गई हैं । गठित समितियां राज्य के 21860.66 वर्ग कि०मी० वन क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा वनों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहीं हैं ।

7.2 वन विकास अभिकरण

संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम को गति देने के उद्देश्य से राज्य के सभी प्रादेशिक/वन्य प्राणी प्रमंडलों में वन विकास अभिकरण का गठन किया जा चुका है और यह अभिकरण निबंधन महानिरीक्षक, झारखंड द्वारा सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1860 के तहत निबंधित किये गये हैं । जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अनुरूप भारत सरकार द्वारा वन विकास अभिकरण को समिति के सहयोग से वृक्षारोपण के लिए सीधे राशि मुक्त की जाती है ।

7.3 पारिस्थिकी एवं पर्यावरण

विकास की अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों में उपयोग होता है । पर्यावरण एवं विकास के बीच संतुलन बनाये रखने के उद्देश्य से, वन भूमि के अपयोजन के प्रस्तावों की समीक्षा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत की जाती है और भारत सरकार से वन भूमि के अपयोजन की अनुमति प्राप्त की जाती है ।

वन भूमि के अपयोजन के लिए भारत सरकार दो चरणों में स्टेज- 1 एवं स्टेज- 2 में स्वीकृति प्रदान करती है । जिन परियोजनाओं में वन भूमि के अपयोजन पर भारत सरकार सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो जाती है, उनमें स्टेज – 1 की सहमति कतिपय शर्तों के साथ दी जाती है । स्टेज – 1 में वर्णित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे जाने के उपरान्त स्टेज – 2 की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है । स्टेज – 2 की शर्तों का अनुपालन हो जाने के पश्चात् ही वन भूमि पर वास्तविक रूप से गैर वानिकी कार्य प्रारंभ किया जाता है ।

7.4 राजकीय व्यापार संगठन

राजकीय व्यापार का सृजन वनों के मुख्य वन उत्पाद, यथा प्रकाष्ठ, खैर, बाँस आदि के विदोहन के लिए किया गया था। वर्तमान परिपेक्ष्य में हरे वृक्षों के पातन पर रोक तथा वन कार्य नियोजना की स्वीकृति में वनों के संरक्षण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए विदोहन हेतु पर्याप्त संख्या में प्रकाष्ठ के कूपों का निर्माण नहीं किया जा रहा है किन्तु बाँस कूप विदोहन के कार्यों की शुरुआत की गयी है ।

7.5 वन्य प्राणी

झारखंड राज्य वन्य प्राणी संसाधनों के मामले में अत्यन्त समृद्ध है । वन्य प्राणियों की कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियों जैसे – हाथी, बाघ, तेन्दुआ, गौर, भेड़िया, देशी भालू (सभी अनुसूची – 1 के वन्य प्राणी), साधारण लंगूर, बंदर, जंगली कुत्ता (सभी अनुसूची – 2 के वन्य प्राणी) चीतल, सांभर, नीलगाय, जंगली सूअर, कोटरा, लकड़बग्घा (सभी अनुसूची – 3 के वन्य प्राणी) इत्यादि इस राज्य में पाये जाते हैं । इसके अतिरिक्त पक्षियों, सरीसृपों तथा कीटों की अनेक प्रजातियाँ भी इस राज्य में उपलब्ध हैं ।

इस राज्य में एक राष्ट्रीय उद्यान एवं ग्यारह वन्य प्राणी आश्रयणियाँ हैं जो वन्य प्राणियों के वास-स्थलों में ही इनके संरक्षण तथा संवर्द्धन हेतु समर्पित हैं । यह सभी संरक्षित क्षेत्र 0.22 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र में फैले हुए हैं जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.63 प्रतिशत है और अभिलिखित वन क्षेत्र का 9 प्रतिशत है । इसके अतिरिक्त राज्य में एक गज आरक्ष, एक जैविक उद्यान, एक मृग बिहार तथा एक मगर प्रजनन केन्द्र हैं ।

राजकीय वृक्ष
साल

राजकीय पशु
हाथी

राजकीय पक्षी
कोयल

राजकीय फूल
पलास



झारखंड के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी आश्रयणी

राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में वन्य प्राणियों के संरक्षण, संवर्द्धन एवं सुदृढ़ प्रबंधन की कार्रवाई भारत सरकार के राष्ट्रीय वन्य प्राणी कार्य योजना (Action Plan) (2001-2016) के आलोक में की जा रही है । उक्त राष्ट्रीय वन्य प्राणी कार्य योजना (Action Plan) के मुख्य उद्देश्य निम्नवत है :-

- क) आरक्षित क्षेत्र का विस्तार एवं सुदृढीकरण ।
- ख) आरक्षित क्षेत्र का प्रभावकारी प्रबंधन ।
- ग) वन्य प्राणी एवं लुप्त हो रही प्रजाति का संरक्षण एवं उनके आवासों का संरक्षण
- घ) मानव संसाधन विकास एवं प्रशिक्षण ।
- ङ.) वन्य प्राणी के अवैध शिकार एवं व्यापार पर प्रभावकारी नियंत्रण ।
- च) वन्य प्राणियों के संरक्षण में जन सहभागिता सुनिश्चित करना ।
- छ) वन्य प्राणी पर्यटन विकास ।
- ज) अनुरक्षण एवं अनुसंधान ।

सरकार द्वारा सभी आश्रयणियों एवं संरक्षित क्षेत्रों को मुख्य वन संरक्षक-सह- मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखंड के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया है । वन्य प्राणियों के संरक्षण के साथ-साथ वन्य प्राणियों के द्वारा

क्रम सं०	राष्ट्रीय उद्यान / वन्य प्राणी आश्रयणी का नाम	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	जिला	स्थापना वर्ष	वैधानिक स्थिति
1.	बेतला राष्ट्रीय उद्यान	231.67	लातेहार	1986	राष्ट्रीय उद्यान
2.	पलामू वन्य प्राणी आश्रयणी	794.33	लातेहार	1976	आश्रयणी
3.	लावालौंग वन्य प्राणी आश्रयणी	207.00	चतरा	1978	आश्रयणी
4.	दलमा वन्य प्राणी आश्रयणी	193.22	पूर्वी सिंहभूम	1976	आश्रयणी
5.	हजारीबाग वन्य प्राणी आश्रयणी	186.25	हजारीबाग	1976	आश्रयणी
6.	कोडरमा वन्य प्राणी आश्रयणी	177.95	कोडरमा	1985	आश्रयणी
7.	पालकोट वन्य प्राणी आश्रयणी	183.18	गुमला	1990	आश्रयणी
8.	गौतमबुद्ध वन्य प्राणी आश्रयणी (अंश)	100.00	कोडरमा	1971	आश्रयणी
9.	महुआडॉड भेड़िया आश्रयणी	63.25	लातेहार	1976	आश्रयणी
10.	पारसनाथ वन्य प्राणी आश्रयणी	49.33	गिरिडीह	1981	आश्रयणी
11.	उधवा झील, पक्षी आश्रयणी	5.65	साहेबगंज	1991	आश्रयणी
12.	तोपचांची वन्य प्राणी आश्रयणी	8.75	धनबाद	1978	आश्रयणी
	कुल	2200.58			

मनुष्यों को हो रही क्षति की पूर्ति के लिए सरकार द्वारा प्रावधान किये गये है ।

जंगली जानवरों द्वारा जान-माल की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान की राशि एवं प्रक्रिया ।

(क) मनुष्य की मृत्यु होने पर

1. 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (व्यस्क) की मृत्यु पर मुआवजा की राशि	1,00,000/- (एक लाख) रूपया प्रति व्यक्ति
2. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (अव्यस्क) की मृत्यु पर मुआवजा की राशि	50,000/- (पचास हजार) रूपया प्रति व्यक्ति

मृतक के निकटतम आश्रित को निर्धारित राशि 1,00,000/- (एक लाख) रूपये के 25 प्रतिशत यानि 25,000 /- रूपया (पच्चीस हजार) का भुगतान तत्काल संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा ।

शेष 75,000/- (पचहत्तर हजार) रूपये का भुगतान मृतक के निकटस्थ आश्रित को संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अन्य प्रक्रिया पूरी होने पर किया जायेगा ।

(ख) गंभीर रूप से घायल होने पर -

1. 18 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति (व्यस्क) के गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा की राशि	33,333/- (तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) रूपया प्रति व्यक्ति
2. 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति (अव्यस्क) के गंभीर रूप से घायल होने पर मुआवजा की राशि	16,666/- (सोलह हजार छः सौ छियासठ) रूपया प्रति व्यक्ति

मनुष्य को गहरी चोट लगने पर निर्धारित राशि 33,333/- (तैंतीस हजार तीन सौ तैंतीस) रूपया का 25 प्रतिशत यानि 8,333 /- रूपया (आठ हजार तीन सौ तैंतीस) तत्काल एवं शेष राशि का भुगतान जांचोपरान्त संबंधित प्रादेशिक वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अन्य प्रक्रिया पूरी होने पर किया जाता है ।

(ग) फसल, पालतू जानवर एवं मकान की क्षति -

1. फसल की क्षति होने पर देय सहायता राशि उसके वास्तविक आकलन के आधार पर होगी परन्तु इसकी अधिकतम राशि 2,500/- रूपया (दो हजार पांच सौ) मात्र प्रति हेक्टेयर होगी ।
2. मकान की क्षति होने पर -

(क) पूर्ण रूप से मकान क्षतिग्रस्त होने पर सहायता राशि -

1. पक्का मकान	10,000/- (दस हजार) रूपया प्रति
---------------	--------------------------------

	मकान
2. कच्चा मकान	6,000/- (छः हजार) रूपया प्रति मकान

(ख) गंभीर रूप से मकान क्षतिग्रस्त होने पर सहायता राशि –

1. पक्का मकान	2,000/- (दो हजार) रूपया प्रति मकान
2. कच्चा मकान	1,000/- (एक हजार) रूपया प्रति मकान

(ग) साधारण रूप से क्षतिग्रस्त मकान के लिए 800/- (आठ सौ) रूपया प्रति मकान

3. भंडारित अनाज की क्षति होने पर 200 (दो सौ) रूपया प्रति क्विंटल परन्तु अधिकतम सीमा 1000 (एक हजार) रूपया
4. भैंस/ गाय/ बैल की मृत्यु होने पर 3000 (तीन हजार) रूपया प्रति पशु
5. भेंड/बछड़ा की मृत्यु होने पर 500/- (पांच सौ) प्रति पशु तथा बकरी की मृत्यु पर 1000 (एक हजार) रूपया प्रति पशु ।

मकान, फसल, भंडारित अनाज एवं पालतू जानवर की क्षति का आकलन वन क्षेत्र पदाधिकारी और अंचलाधिकारी/ उपायुक्त द्वारा प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से घटना के एक सप्ताह के भीतर करके प्रतिवेदन संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा जो उन सभी मामलों में तुरन्त भुगतान की व्यवस्था करेंगे ।

8. सलाह देने के उद्देश्य से गठित बोर्ड, पर्षद एवं समिति

8.1 झारखंड राज्य वन विकास निगम लि०

विभाग के अधीन लघु वन पदार्थों के संग्रहण तथा विपणन हेतु एक स्वतंत्र इकाई झारखंड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के रूप में कार्यरत है, जिसके अध्यक्ष विभागीय मंत्री तथा प्रबंध निदेशक, मुख्य वन संरक्षक स्तर के पदाधिकारी हैं ।

लघु वन पदार्थों के संग्रहण एवं विपणन कार्यों का सफलतापूर्वक सम्पादन करने हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, झारखंड की अधिसूचना सं० 1357 दिनांक 23 मार्च 2002 द्वारा झारखंड राज्य वन विकास लि०, रांची का गठन किया गया है । वन निगम का मुख्य कार्य केन्दू पत्ती का संग्रहण एवं विपणन है ।

केन्दू पत्ती का संग्रहण कार्य उस समय होता है, जब झारखंड क्षेत्र के अंतर्गत खेती बाड़ी आदि का कार्य नहीं होता है । ऐसे समय में केन्दू पत्ती संग्रहण के क्रम में एक बड़ी राशि मजदूरी के रूप में स्थानीय कमजोर तबके के लोगों को उपलब्ध कराई जाती है ।

वन निगम झारखंड राज्य के अन्तर्गत 45 क्षेत्रीय कार्यालयों, कुल छः प्रमण्डलीय कार्यालयों एवं 2 अंचल कार्यालयों के माध्यम से सारे कार्य कलापों का संचालन कराता है । वन निगम द्वारा साल बीज, महुलान पत्ता आदि का भी संग्रहण एवं विपणन का कार्य किया जाता है ।

8.2 झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद, रांची

विभाग के अधीन जल एवं वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण हेतु एक अन्य इकाई झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद रांची के रूप में कार्यरत है । इस परिषद का नियंत्रण अध्यक्ष, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद एवं सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा किया जाता है ।

8.3 झारखंड वन उपज सलाहकार समिति

झारखंड सरकार वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प सं0 3010 दिनांक 13.05.2005 द्वारा गठित है । यह समिति विक्रय के लिए प्रस्तावित प्रत्येक विनिर्दिष्ट वन उपज का उचित एवं युक्तियुक्त कीमत निर्धारित करने में सरकार को सलाह देती है ।

8.4 राज्य वन्य जीव बोर्ड

वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (यथा संशोधित 2002) की धारा 6 (i) के प्रावधानों के तहत वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्द्धन हेतु राज्य वन्य जीव बोर्ड का गठन किया जाना है ।

8.5 जैव विविधता पर्वद

जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 22 (उपधारा 1, 4 तथा 5) में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा जैव विविधता पर्वद का गठन किया जाना है ।

8.6 केन्दु पत्ती सलाहकार समिति

बिहार केन्दु पत्ती (व्यापार नियंत्रण) नियमावली, 1973 की धारा 6 के प्रावधानों के तहत केन्दु पत्ती के दर निर्धारण हेतु केन्दु पत्ती सलाहकार समिति का गठन झारखंड सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना संख्या 6547 दिनांक 17.11.2005 द्वारा किया गया है ।

9. पदाधिकारियों एवं कर्मियों की निर्देशिका

क्रम	पदाधिकारी का नाम	पदनाम	दूरभाष (कार्यालय)
1.	श्री सुधीर प्रसाद, भा0प्र0से0	प्रधान सचिव	0651-2491669
2.	श्री सुबास चन्द्र सिन्हा,	उप सचिव	0651-2490133

	रा0प्र0से0		
3.	श्रीमती एस0 किरो,रा0प्र0से0	उप सचिव	0651-2491169
4.	श्री नेपाल प्रसाद सिंह,	अवर सचिव	0651-2491169
5.			
6.	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, रा0व0से0	सहायक वन संरक्षक	
7.	श्री मोख्तारूल हक, रा0व0से0	विशेष कार्य पदाधिकारी	
8.	श्री जलज कुमार, रा0व0से0	विशेष कार्य पदाधिकारी	

10. पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक परिलब्धियाँ

क्रम	पदनाम	पदाधिकारी का नाम	वेतनमान
1	2	3	4
1.	प्रधान सचिव	श्री सुधीर प्रसाद, भा0प्र0से0	
2.	उप सचिव	श्री सुबास चन्द्र सिन्हा, रा0प्र0से0	12000-375-16500
3.	उप सचिव	श्रीमती एस0 किरो, रा0प्र0से0	12000-375-16500
4.	अवर सचिव	श्री नेपाल प्रसाद सिंह,	10000-325-15200
5.	उप परामर्शी		
6.	सहायक वन संरक्षक	श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव,रा0व0से0	10000-325-15200
7.	विशेष कार्य पदा0	श्री मोख्तारूल हक, रा0व0से0	10000-325-15200
8.	विशेष कार्य पदा0	श्री जलज कुमार, रा0व0से0	10000-325-15200
9.	वरीय निजी सहा0	श्री शिवनारायण लाल दास	10000-325-15200
10.	वरीय निजी सहा0	श्री सुरेश राउत	10000-325-15200
11.	निजी सहा0	श्री प्रेम कुमार श्रीवास्तव	10000-325-15200
12.	प्रशाखा पदाधिकारी	श्री बालेश्वर प्रसाद सिंह	10000-325-15200
13.	प्रशाखा पदाधिकारी	श्री मुनी लाल महतो	6500-200-10500
14.	प्रशाखा पदाधिकारी	श्री नवल किशोर प्रसाद	6500-200-10500
15.	प्रशाखा पदाधिकारी	श्री गोपाल खडिया	6500-200-10500
16.	सहायक	श्री संजय शरण	6500-200-10500
17.	सहायक	श्रीमती ललिता टोप्यो	6500-200-10500
18.	सहायक	श्री प्रदीप कुमार	6500-200-10500
19.	सहायक	श्री श्यामानन्द झा	6500-200-10500
20.	सहायक	श्रीमती क्लेमेन्टिना कुजूर	6500-200-10500
21.	निजी सहायक	श्री लालदत्त ठाकुर	5500-175-9000
22.	निजी सहायक	श्री राम देव चौधरी	5500-175-9000
23.	सहायक	श्री मदन मोहन झा	5500-175-9000
24.	सहायक	श्री राजा राम सोरेन	5500-175-9000
25.	सहायक	श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव	5500-175-9000
26.	सहायक	श्री अशोक कुमार चौधरी	5500-175-9000

27.	सहायक	श्री विजय कुमार टोप्पो	5500-175-9000
28.	सहायक	श्री कृष्ण कुमार	5500-175-9000
29.	सहायक	श्री मनोज कुमार सिंह	5500-175-9000
30.	सहायक	श्री विपिन कुमार	5500-175-9000
31.	सहायक	श्री रवि शंकर	5500-175-9000
32.	टंकक	श्री नवल कुमार रजक	5000-150-8000
33.	टंकक	श्री रत्नेश्वर कुमार सिन्हा	5000-150-8000
34.	टंकक	श्री अनुज कुमार	4000-100-6000
35.	टंकक	श्री संजीत भूईयां	4000-100-6000
36.	दिनचर्या लिपिक	श्री रामजन्म राम	4500-125-7000
37.	अभिलेखवाह	पंचम उरांव	2750-70-3800-75-4400
38.	अभिलेखवाह	श्री राजकिशोर प्रसाद	2650-65-3300-70-4000
39.	चालक	श्री रामराज प्रसाद	3200-85-4900
40.	आदेशपाल	श्री कपिलदेव पासवान	2650-65-3300-70-4000
41.	आदेशपाल	श्री विश्राम मुण्डा	2650-65-3300-70-4000
42.	आदेशपाल	श्रीमती सरिता देवी	2550-55-2660-60-3200
43.	पानीपाडे	श्री गौरीशंकर प्रसाद	2650-65-3300-70-4000
44.	फरास	श्री राजेश्वर प्रसाद	2650-65-3300-70-4000
45.	स्वीपर	श्री जगदीश राम	2650-65-3300-70-4000
46.	स्वीपर	श्री पुनील राम	2650-65-3300-70-4000

11. बजट उपबंध एवं स्वीकृत राशि

11.1 वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची की स्थापना हेतु आवंटन एवं व्यय की स्थिति (नवम्बर, 2006)

विभागीय स्थापना

क्रम	इकाई	2006-07 का आवंटन	नवम्बर, 2006 तक का व्यय	अवशेष आवंटन राशि (रूपये में)
1.	वेतन	92,47,000.00	57,61,381.50	34,85,618.50
2.	जीवन यापन भत्ता			
3.	यात्रा व्यय	2,00,000.00	1,29,285.50	70,714.50
4.	एल0टी0सी0	50,000.00	50,000.00	शुन्य
5.	कार्यालय व्यय	7,00,000.00	2,99,833.75	4,00,166.25
6.	मोटर गाड़ी	2,00,000.00	1,44,803.40	55,196.60
7.	दूरभाष	1,50,000.00	57,037.00	92,963.00
8.	मशीन एवं उपकरण	1,50,000.00	1,03,544.00	46,456.00
9.	वर्दी	2,00,000.00	शुन्य	2,00,000.00
		1,08,97,000.00	65,45,885.15	43,27,114.85

मंत्री स्थापना

क्रम	इकाई	2006-07 का आवंटन	नवम्बर, 2006 तक का व्यय	अवशेष आवंटन राशि (रूपये में)
1.	मोटर गाड़ी	2,36,363.00	1,16,787.15	1,19,575.85
2.	कार्यालय व्यय	1,77,272.00	93,308.00	83,964.00
3.	विद्युत	37,454.00	शुन्य	37,454.00

4.	दूरभाष	2,06,818.00	37,233.00	1,69,585.00
		6,57,907.00	2,47,328.15	4,10,578.85

11.2 वित्त वर्ष 2006-07 में राज्य योजना मद के अन्तर्गत विभागीय योजनाओं की स्वीकृत एवं व्यय की गयी राशि की नवम्बर, 2006 तक की अद्यतन स्थिति मासिक व्यय प्रतिवेदन

विभाग का नाम:- वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार
मांग / विनियोग संख्या - 19
माह - नवम्बर, वित्तीय वर्ष 2006-07 (ऑकडे लाख रू० में)

मुख्य शीर्ष- वानिकी और वन्य जीव

क्र० सं०	योजना का नाम	कर्णांकित उद्व्यय	स्वीकृत राशि (लाख रू० में)	आवंटित राशि	माह अक्टूबर से	माह नवम्बर, 2006 तक व्यय
2	3	4	5	6	7	8
1	इन्टेन्सीफिकेशन ऑफ मैनेजमेण्ट					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	569.171	84.584	72.763	0.000	0.000
ख	अ०क्षे०उ०यो०	258.040		0.000	0.000	0.000
2	मूल्यांकन सह योजना कोषांग					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	10.000		0.000	0.000	0.000
3	वन कर्मचारियों का प्रशिक्षण					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	64.000	64.000	64.000	0.000	0.000
ख	अ०क्षे०उ०यो०	55.000	55.000	50.200	0.000	0.000
4	वन प्रचार					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	32.000	32.000	32.00	4.970	8.710
ख	अ०क्षे०उ०यो०	3.000	3.000	3.000	0.100	1.100
5	अनुसंधान एवं मूल्यांकन					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	51.256	35.610	35.610	8.832	8.924
6	अवकृष्ट वनों का पुनर्वास					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	1887.316	1881.298	1868.878	731.109	771.773
ख	अ०क्षे०उ०यो०	1354.591	1350.289	1346.530	698.416	705.370
7	शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	703.680	700.519	698.335	359.941	378.708
ख	अ०क्षे०उ०यो०	551.617	549.268	547.225	280.570	287.290
8	पथ तट रोपण-सह-शहरी वानिकी					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	738.896	294.765	294.765	85.652	116.886
ख	अ०क्षे०उ०यो०	435.779	332.161	332.161	60.715	75.870
9	लघु वन पदार्थों का उन्नयन					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	561.142	557.984	264.746	175.706	194.711
ख	अ०क्षे०उ०यो०	528.515	524.886	523.339	202.897	213.961

10	वन साधनों का सर्वेक्षण					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	47.000	0.000	0.000	0.000	0.000
ख	अ०क्षे०उ०यो०	5.000	5.000	5.000	0.000	0.000
11	लाह विकास					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	191.354	183.588	183.588	21.617	21.617
ख	अ०क्षे०उ०यो०	188.770	188.006	186.665	28.531	28.624
12	भू-संरक्षण एवं वनरोपण					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	620.131	618.198	613.572	75.422	79.123
ख	अ०क्षे०उ०यो०	432.036	430.742	427.704	68.676	69.556
13	नक्सल क्षेत्र में सड़कों का उन्नयन					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	220.000		0.000	0.000	0.000
ख	अ०क्षे०उ०यो०	140.000		0.000	0.000	0.000
14	अन्य उद्यान					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	226.514	27.496	23.477	0.000	5.000
ख	अ०क्षे०उ०यो०	35.192	0.000	0.000	0.000	0.000
15	गहन विकास कार्यक्रम					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	300.000		0.000	0.000	0.000
ख	अ०क्षे०उ०यो०	200.000		0.000	0.000	0.000
16	राष्ट्रीय वानिकी कार्यक्रम – झारखण्ड सहभागी वानिकी प्रबंधन योजना					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	100.000	100.000	0.000	0.000	0.000
17	12वें वित्त आयोग से अनुदान					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	300.000	299.975	299.975	29.389	146.160
ख	अ०क्षे०उ०यो०	300.000	299.988	299.988	35.000	42.590
18	विश्व बैंक संपोषित झारखण्ड सहभागी वानिकी प्रबंधन योजना					
ख	अ०क्षे०उ०यो०	100.000	100.000	100.000	0.000	10.000
19	पलामू व्याघ्र परियोजना(50:50)					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	70.000		0.000	0.000	0.000
20	अन्य उद्यान (भगवान बिरसा जैविक उद्यान)- केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की 50:50 योजना					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	20.000		0.000	0.000	0.000
21	समेकित वन सुरक्षा योजना (75:25)					
क	ज०जा०क्षे०उ०यो०	115.010	24.817	24.817	0.000	0.000
ख	अ०क्षे०उ०यो०	85.000	12.648	12.648	0.000	0.000
	कुल	11500.000	8755.596	8311.016	2867.363	3265.973

12. उपबंधित राशि एवं इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वितों की विवरणी सहित अनुदान कार्यक्रम के कार्यान्वयन की विधि

उपबंधित राशि की विवरणी कंडिका 11 में अंकित है ।
वर्तमान में अनुदान की कोई योजना नहीं है ।

13. संगठन द्वारा प्राधिकृत किये गये रियायत एवं अनुज्ञा पत्र प्राप्त करने वालों की विवरणी

क्षेत्रीय कार्यालय – वन प्रमंडल पदाधिकारी के कार्यालय से संबंधित है ।

14. संगठन के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचनाओं की विवरणी

प्रक्रियाधीन है ।

15. आमजनों को सूचना देने हेतु सुविधा या पुस्तकालय

सम्प्रति आम जनों के उपयोग हेतु कोई पुस्तकालय अथवा अध्ययन कक्ष विभाग के स्तर पर उपलब्ध नहीं है ।

16. सूचना उपलब्ध कराने का स्रोत

वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची के स्तर पर निम्नांकित पदाधिकारियों को सूचना उपलब्ध कराने हेतु नामित किया गया है :-

(क)	श्री नेपाल प्रसाद सिंह, अवर सचिव	जन सूचना पदाधिकारी	0651-2491169
(ख)	श्री सुधीर प्रसाद, प्रधान सचिव	प्रथम अपीलीय प्राधिकार	0651-2491669

17. अन्य सूचना

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए 10 रूपये का फीस आवेदन के साथ देय होगा ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दर पर देय होगा –

(क) तैयार किये गये या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रूपये;

(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि को वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;

(ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और

(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पांच रुपये की फीस ।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दर पर प्रभारित की जायेगी –

(क) डिस्कट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति डिस्कट या फ्लॉपी पचास रुपये; और

(ख) मुद्रित प्रारूप में दी गयी सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशनों से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रुपये ।

उपर्युक्त फीस समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में होगा जो अवर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची के पदनाम से देय होगा ।

बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक, भारतीय स्टेट बैंक, डोरंडा शाखा, रांची में भुगतये होगा ।

सूचनाओं के लिए आवेदन प्रपत्र का नमूना निम्नवत है :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचनाओं के लिए आवेदन प्रपत्र

आवेदन संख्या -----
(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

- i) आवेदक का नाम
- ii) पूर्ण पता :-
- iii) दूरभाष संख्या (यदि हो) :-
- iv) फ़ैक्स संख्या (यदि हो) :-
- v) e-mail संख्या :-
- vi) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नम्बर एवं तिथि :-

मैं घोषित करता हूँ कि उपरोक्त सूचनार्ये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत गोपनीय नहीं है, तथा यह आपके कार्यालय से संबंधित है ।

निर्धारित शुल्क ----- / रु0 कार्यालय में नकद / बैंक ड्राफ्ट/ बैंकर्स चेक के द्वारा अवर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची के पदनाम से संलग्न है ।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची से सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया –

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए 10 रुपये का फीस आवेदन के साथ देय होगा ।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दर पर देय होगा –
 - (क) तैयार किये गये या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रुपये;
 - (ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि को वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;
 - (ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और
 - (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पांच रुपये की फीस ।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दर पर प्रभारित की जायेगी –
 - (क) डिस्कट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति डिस्कट या फ्लॉपी पचास रुपये; और
 - (ख) मुद्रित प्रारूप में दी गयी सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशनों से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रुपये ।
उपर्युक्त फीस समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंक चेक के रूप में होगा जो अवर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची के पदनाम से देय होगा
बैंक ड्राफ्ट या बैंक चेक, भारतीय स्टेट बैंक, डोरंडा शाखा, रांची में भुगतये होगा ।
सूचनाओं के लिए आवेदन प्रपत्र का नमूना निम्नवत है :-

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचनाओं के लिए आवेदन प्रपत्र

आवेदन संख्या -----

(कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

- i) प्राप्त किये जाने वाले सूचनाओं की विवरणी –
- ii) आवेदक का नाम –
- iii) पूर्ण पता :-
- iv) दूरभाष संख्या (यदि हो) :-
- v) फैक्स संख्या (यदि हो) :-
- vi) e-mail संख्या (यदि हो) :-
- vii) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नम्बर एवं तिथि :-
- viii) मनी रसीद संख्या एवं तिथि –

मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनार्ये सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत गोपनीय नहीं है, तथा यह आपके कार्यालय से संबंधित है ।

निर्धारित शुल्क -----/ रु0 कार्यालय में नकद /बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा किया गया है । मनी रसीद आवेदन के साथ संलग्न है ।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर

(नोट :- आवेदन पत्र के साथ 10/- रु0 नकद/बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से श्री नवीन कुमार वर्मा, रोकडपाल के पास जमा करते हुए रसीद कटाकर आवेदन पत्र में रसीद संलग्न कर श्री अकबर अली, सहायक लिपिक के पास जमा किया जायेगा । तैयार किये गये प्रतिलिपि/डिस्कट/फ्लॉपी की फीस संचिका में कार्रवाई के पश्चात् ली जायेगी ।)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचनाओं के लिए आवेदन प्रपत्र

आवेदन संख्या ----- (कार्यालय द्वारा भरा जायेगा)

- i) प्राप्त की जाने वाली सूचनाओं की विवरणी -
- ii) आवेदक का नाम -
- iii) पूर्ण पता :-
- iv) दूरभाष संख्या (यदि हो) :-
- v) फ़ैक्स संख्या (यदि हो) :-
- vi) e-mail संख्या (यदि हो) :-
- vii) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक नम्बर एवं तिथि :-
- viii) मनी रसीद संख्या एवं तिथि -

मैं घोषित करता/करती हूँ कि उपरोक्त सूचनार्थ सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 के अंतर्गत गोपनीय नहीं है, तथा यह आपके कार्यालय से संबंधित है।

निर्धारित शुल्क -----/ रू0 कार्यालय में नकद /बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के माध्यम से जमा किया गया है। मनी रसीद आवेदन के साथ संलग्न है।

स्थान :-

तिथि :-

आवेदक का हस्ताक्षर

नोट :-

1. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के लिए 10 रुपये का फीस आवेदन के साथ देय होगा।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दर पर देय होगा -
 - (क) तैयार किये गये या प्रतिलिपि किये गये प्रत्येक (ए-4 या ए-3 आकार) कागज के लिए दो रुपये;
 - (ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि को वास्तविक प्रभार या लागत कीमत;
 - (ग) नमूनों या मॉडलों के लिए वास्तविक लागत या कीमत; और
 - (घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, पहले घंटे के लिए कोई फीस नहीं; और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट (या उसके भाग) के लिए पांच रुपये की फीस।
3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के धारा 7 की उपधारा (5) के अधीन किसी सूचना को उपलब्ध कराने के लिए फीस निम्नलिखित दर पर प्रभारित की जायेगी -
 - (क) डिस्कट या फ्लॉपी में सूचना उपलब्ध कराने के लिए प्रति डिस्कट या फ्लॉपी पचास रुपये; और
 - (ख) मुद्रित प्रारूप में दी गयी सूचना के लिए, ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या ऐसे प्रकाशनों से उद्धरणों की फोटो प्रति के प्रति पृष्ठ के लिए दो रुपये। उपर्युक्त फीस समुचित रसीद के विरुद्ध नकद के रूप में या मांग देय ड्राफ्ट या बैंकर चेक के रूप में होगा जो अवर सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड, रांची के पदनाम से देय होगा। बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चेक, भारतीय स्टेट बैंक, डोरंडा शाखा, रांची में भुगतये होगा।

